न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–112/2022

राज्य

बनाम्

राजीव रंजन

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1033/एम0 दिनांक 09.11.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार ने "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) के आलोक में जप्त सोनालिका ट्रैक्टर रंजि0 न0– JH19D-0859, Eng. No.- 3100FLU2441134147F18, Chassis No- BZJSJ1143312S3 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी का जप्त वाहन संख्या– JH19D-0859 के निबंधित स्वामी है। विपक्षी के पास जप्त वाहन के सभी वैध कागजात उपलब्ध है। घटना के तारिख 06.11.2022 को ट्रैक्टर उनके चालक द्वारा चलाया जा रहा था। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतः विधिसंगत नहीं है, क्योंकि पुरे आरोप पत्र में सिर्फ लिखा गया है कि ट्रैक्टर जप्त किया गया है जबकि ट्रैक्टर के साथ ट्राली भी जप्त किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या– JH03U7061 एवं चेसीस नं0– PLM4532018 है। जप्त वाहन ही विपक्षी का जीवीकोपार्जन का एक मात्र साधन है तथा वाहन जप्त

रहने की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 06.11.2022 को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बरवाडीह एवं थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना द्वारा संयुक्त रूप से बरवाडीह थानान्तर्गत छापामारी के क्रम में ग्राम–छेंछा, टिकुआ स्थित कोयल नदी घाट रोड से 01 (एक) सोनालिका ट्रैक्टर वाहन के ट्रॉली (ट्रेलर) में लदे बालू खनिज का परिवहन करते हुए पाया गया। छापामारी टीम द्वारा उक्त ट्रैक्टर वाहन में लदे बालू खनिज संबंधी कागजात वाहन चालक से मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। तदुपरान्त ट्रैक्टर वाहन के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज मात्रा– लगभग 100 CFT सहित ट्रैक्टर वाहन को थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना द्वारा जप्त कर बरवाडीह थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) के तहत् राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन सोनालिका ट्रैक्टर रंजि0 न0– JH19D-0859, Eng. No.- 3100FLU2441134147F18, Chassis No- BZJSJ1143312S3 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.02.01 15:50:54 +05:30
Location: 192.168.244.97